प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 10-12-2024

> पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के क्रम में ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0 1/ (सी0ए0डब्लू0), जनपद बदायूँ द्वारा पीड़िता के साथ छेड़खानी व जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कादरचौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2021 धारा 452/354/307/323/326क/304 भा0द0वि0 बनाम सतेन्द्र पुत्र रामचरन नि0 ग्राम सकरी कासमपुर थाना कादरचौक बदायूँ की विवेचना विवेचक उ0नि0 श्री वेदपाल सिंह द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0 1/ (सी0ए0डब्लू0), जनपद बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 हरिओम थाना कादरचौक द्वारा माननीय न्यायालय ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0 1/ (सी0ए0डब्लू0), जनपद बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 10-12-2024 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0 1/ (सी0ए0डब्लू0), जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त सतेन्द्र उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए धारा- 451/354/323/326क/304 भा0द0वि0 में आजीवन कारावास तथा कुल 42,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कुल अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास की अतिरिक्त सजा होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 हरिओम थाना कादरचौक तथा लोक अभियोजक श्री मुनेन्द्र प्रताप सिंह, विवेचक उ0नि0 श्री वेदपाल का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल,

जनपद बदायूं।